



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

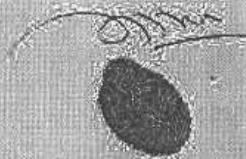
27



है। कच्चा विक्रित भूमि का स्थल पर कतई खाली का द्वितीय पक्ष क्रेता को प्रदान कर दिया है तथा क्रेता ने विक्रित भूमि का वास्तविक एवं भौतिक अधिपत्य स्थल पर प्राप्त कर लिया है। क्रेता उपरोक्त भूमि को अपनी इच्छानुसार प्रयोग में ला सकेंगे। किसी को कोई आपत्ति न होगी। क्रेता अपना नाम



27





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

28



राजस्व अभिलेखों में बतौर स्वामी अंकित करने के पूर्ण
अधिकारी रहेंगे यदि इस हेतु प्रथम पक्ष विक्रेता की सहमति
एवं राजामन्दी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी तो उसको
प्रथम पक्ष विक्रेता समानुसार पूर्ण रूप से पाबन्द रहेंगे। कोई
आपत्ति न होगी। यदि आज की तिथि से पूर्व का कोई दाय

म. रा. रा. रा.

28



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

29



या लगान विहित भूमि पर बकाया पाया जावेगा तो उसको चुकता करने का भार हम विक्रेता के जिम्मे होगा और आज की तिथि के बाद समस्त ड्यूज एवं लगान को स्वयं क्रेता वहन करेगा। कोई आपत्ति न होगी। यदि अब अथवा भविष्य में विहित भूमि अथवा उसका कोई अंश क्रेता के अधिकार में न रहेगा।



29





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

215371

30

स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि से निकल जायेगा या विक्रित
भूमि पर कोई ऋण या भार आदि प्राय जायेगा या यह
बैनामा किसी न्यायालय से खण्डित अथवा मन्सूख करार प्रा
जायेगा तो ऐसी प्रत्येक वैधानिक दशा में कंता के विक्रय मूल्य
अथवा उसका अंश वैसी स्थिति हो, भय हवा व खर्चा व
नि माथी



30





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



भविष्य में सगाई सागत सहित वापिस चुकता करने का भार
प्रथम पक्ष विक्रेता तथा उनके उत्तराधिकारी सहित उनकी जल
व अचल सम्पत्ति समस्त प्रकार पर रहेगा। कोई आपत्ति न
होगी। अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि सन्दर्भ हो और
उचित समय पर काम आवे। इति।

दि. मा. १९७५

